



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1117]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/वैशाख 19, 1938

No. 1117]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2016

का.आ.1682(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनमें बाद में अधिसूचना का.आ. 1709 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधन किया गया था, ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ), तारीख 26.03.2014 की सारणी 1 के क्रम संख्या 6 द्वारा यथा-संशोधित यह अधिसूचित किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 2.837 कि.मी. से 0.000 कि.मी. और 395.870 कि.मी. से 358.000 कि.मी. (नया चैनेज 700.544 कि.मी. से 741.255 कि.मी. (विशाखापत्तनम से अंकापल्ली सेक्शन) ("उक्त सेक्शन") के चार अथवा अधिक लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और प्राधिकरण को उक्त शुल्क अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1709 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2012 और शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ), तारीख 26.03.2014 की सारणी 1 के क्रम संख्या 6 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. अधिसूचना का.आ. 1709 (अ), तारीख 26.07.2012 में, टिप्पणियों का विद्यमान पैरा 1:—
- 2.

उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क.....ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है।
1	कि.मी./चैनेज 371.200 (नया चैनेज 728.055 कि.मी.) विशाखापत्तनम जिले में अगनमपुड़ी गांव के पास	40.707

निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क.....ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है।
1	कि.मी./चैनेज 363.255 (नया चैनेज 736.000 कि.मी.) (विषाखापत्तनम जिले में {सलापुवानिपालेम, लंकेलापालेम गांव के पास})	40.328

3. अधिसूचना का. आ. 896 (अ), तारीख 26.03.2014 में, टिप्पणियों का विद्यमान पैरा 1:—

सारणी 1

क्रम संख्या	शुल्क अधिसूचना का ब्यौरा		टोल प्लाजा का नाम
	का.आ. संख्या	तारीख	
6	1709 (अ)	26.07.2012	अगनमपुड़ी

निम्न प्रकार स्थापित किया जाएगा:—

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 के गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 363.255 (नया चैनेज 736.000 कि.मी.) (विषाखापत्तनम जिले में {सलापुवानिपालेम लंकेलापालेम गांव के पास})	0.379	3.790	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

क्रम संख्या	* 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना		
	चैनेज (कि.मी.)		लम्बाई मीटर
	से	तक	
1	716.730	716.829	99.000
	727.505	727.605	100.000
	739.686	739.776	90.000
	740.611	740.701	90.000
	कुल		379.000

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/681/15-16/जीसी-विशाखापत्तनम(358-395)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2016

S.O. 1682(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and subsequent amendments (the "said Rules"), the Central Government, vide notification S.O. 1709(E), dated 26th July, 2012 as amended vide Sr. No. 6 of Table 1 of fee notification bearing S.O. 896(E) dated 26.03.2014 have notified that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane section from km 2.837 – km 0.000 and km 395.870 – km 358.000 (New Chainage from km 700.544 to km 741.255 (Visakhapatnam to Ankapalli Section) of National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh (the "said section"), and has authorized the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification S.O. 1709(E), dated 26th July, 2015 and Sr. No. 6 of Table 1 of fee notification bearing S.O. 896(E) dated 26.03.2014, namely:-

1. In the notification S.O. 1709(E), dated 26.07.2012, the existing para 1 of Notes:-
The fee levied and collected net road length specified for such Toll Plaza:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
1	Km/Ch. 371.200 (new chainage km 728.055) (near Village Agnampudi in Visakhapatnam District)	40.707

Shall be substituted as:-

The fee levied and collected net road length specified for such Toll Plaza:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
1	Km/Ch. 363.255 (new chainage km 736.000) [Salapuvanipalem (near Lankelapalem Village in Visakhapatnam District)	40.328

2. In the notification S.O. 896(E) dated 26.03.2014, the existing para 1 of Notes:-
Table 1

S. No.	Details of Fee Notification		Name of Toll Plaza
	S.O. No.	Date	
6	1709(E)	26.07.2012	Aganampudi

Shall be substituted as:-

In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures * (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km/Ch. 363.255 (new chainage km 736.000) [Salapuvanipalem (near Lankelapalem Village in Visakhapatnam District)	0.379	3.790	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

S. No.	* Structure having length more than 60 m		
	Chainage (Km.)		Length (m)
	From	To	
1	716.730	716.829	99.000
	727.505	727.605	100.000
	739.686	739.776	90.000
	740.611	740.701	90.000
	Total		379.000

[F. No. NHAI/13013/681/15-16/GC-Visakhapatnam (358-395)]
LEENA NANDAN, Jt. Secy.